सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

ग्राम्य विकास विभाग
(जिला विकास कार्यालय)
जनपद चमोली

मैनुवल संख्या– 04

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

प्रस्तावना

यह मैनुअल अथवा हस्त पुस्तिका संसद द्वारा पारित सूचना का अधिकार अधिनियम– 2005 के अनुरूप विभाग को षासन तथा लोकतन्त्र के प्रति उत्तरदायी बनाने के साथ–साथ भ्रश्टाचार को रोकने एवं सूचना की पारदर्षिता की अपेक्षा रखने के उद्देष्य से तैयार की गयी है। अधिनियम के अध्याय–2 नियम–4 (1) (ख) में निर्दिश्ट 17 बिन्दुओं में से बिन्दु–01 के सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग के विभागीय कार्यकलापों को इस हस्त पुस्तिका में समाहित करने का पूर्ण प्रयास किया गया है ताकि जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ आम जनमानस के समक्ष सूचना की पारदिर्षिता बनी रहे। उत्तरॉचल सूचना आयोग के निर्देषानुसार इन 17 बिन्दुओं/मैनुअलों का अलग–अलग मैनुअल बनाया जाना है, जो अपने में एक स्वतन्त्र ;जंदक ।सवदमद्ध मैनुअल होगा। इस प्रकार सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम्य विकास विभाग, जनपद–चमोली के सभी 17 मैनुअल बने हुए हैं, जिनमें से यह मैनुअल संख्या–04 कहलायेगा।

2– यह मैनुअल ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ ग्राम्य विकास विभाग के कार्मिकों के लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। विभागीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में मैनुअल में दी गयी कतिपय सूचना षासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर तैयार की गयी है और कतिपय सूचनाओं को इस आधार पर तैयार किया गया है कि विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों की वित्तीय एवं भौतिक स्थिति की जानकारी आम नागरिकों को सरलतम रूप में प्राप्त हो सके। मैनुअल/पुस्तिका में यथासम्भव सरलतम षब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि आम नागरिकों को इसे समझने में आसानी रहे।

3– इस हस्त पुस्तिका में समाहित विशयों एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जिला विकास अधिकारी, चमोली/ सहायक लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। पुस्तिका में उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अतिरिक्त यदि अन्य किसी प्रकार की सूचना जो कि अधिनियम की व्यवस्थाओं के अधीन हो, वह भी जिला विकास अधिकारी, चमोली/सहायक लोक सूचना अधिकारी की अनुमति से प्राप्त की जा सकती है। जो भी व्यक्ति/नागरिक इस अधिनियम के अधीन किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करना चाहेगा उसे अधिनियम की धारा–6 (1) में निहित व्यवस्था के तहत हस्तलिखित अथवा इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से हिन्दी भाशा में लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत करने तथा अधिनियम की धारा–7(5) में किये गये प्राविधान के अधीन षासन द्वारा निर्धारित षुल्क रूपये 10/– प्रति आवेदन पत्र नकद जमा करने पर आवेदन पत्र में चाही गयी सूचना को निम्नानुसार अतिरिक्त षुल्क जमा करने पर 30 दिन की अधिकतम समय सीमा अन्तर्गत प्राप्त कर सकता है। सूचना उसी रूप में दी जा सकेगी जिस रूप में विभाग द्वारा रखी जाती है। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को एक साथ अथवा एक ही प्रपत्र पर संकलित कर आवेदक को उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसलिए विभाग के पास विभागीय सूचना जिस रूप में होगी उसी रूप में आवेदित व्यक्ति/नागरिक को उपलब्ध करायी जा सकेगी। षासन से निर्धारित षुल्क का विवरण निम्न प्रकार है :–

(1) तैयार की गयी सामग्री अथवा किसी अभिलेख की छायाप्रति ।4 या ।3 साइज के कागज

पर एक पृश्ठ की रू0 2 (दो) प्रति पेज की दर से भुगतान करने पर।

(2) बड़े आकार के कागज में प्रतिलिपि दिये जाने पर उसकी वास्तविक लागत के समतुल्य धन0।

(3) अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए प्रथम एक घॅटे के लिए कोई षुल्क देय नहीं होगा। एक

घंटे के पष्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके किसी भाग हेतु 5(पॉच) रूपये की दर से षुल्क

देय होगा।

(4) डिस्केट/फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए 50 रूपये प्रति डिस्केट/फ्लॉपी देय होगी।

(5) सैम्पल/मॉडल की दषा में उसकी वास्तविक लागत का भुगतान करना होगा।

4– उक्तानुसार निर्धारित षुल्क लोक सूचना अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी या कर्मचारी के पास जमा कर उसकी प्राप्ति रसीद कोशागार प्रपत्र 385 पर प्राप्त की जा सकती है।

□□□□□□□□□□

कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापदण्ड

विभाग द्वारा अपने विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के सम्पादन हेतु स्वयं कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं। अधिश्ठान सम्बन्धी प्रषासकीय एवं वित्तीय कार्यों का सम्पादन कार्मिक विभाग तथा वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देषों/षासनादेषों के तहत उपलब्ध बजट प्राविधानों के अधीन किया जाता है। प्रचलित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी मार्गदर्षी सिद्धान्तों/ नीतियों के तहत स्थानीय जनता की भागीदारी से किया जाता है। तथापि विभागीय क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों के सम्पादन में प्रयोग किये जाने वाले मानक/नियमों का उल्लेख निम्न प्रकार किया जा रहा है:–

1– अधिश्ठान सम्बन्धी कार्य :– अधिश्ठान के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर गठित वेतन समिति की संस्तुतियों एवं वित्त विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा जारी षासनादेषों के अधीन रहते हुए वेतन–भत्ता, यात्रा–भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा–भत्ता, अवकाष यात्रा सुविधा, सन्तोशजनक सेवा के आधार पर समयमान वेतनमान की सुविधा, चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालकों को नियमानुसार ग्रीश्मकालीन तथा षीतकालीन वर्दी अनुमन्य की जाती है। अधिनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति षासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों एवं नियमों के अनुरूप विभागीय चयन/पदोन्नति समिति की संस्तुति पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त नियमानुसार अपने कृत्यों का निर्वहन न करने, अनुषासनहीनता दिखाने, षासकीय धन का दुरूपयोग करने आदि नियम विरूद्ध कृत्यों के प्रकाष में आने पर उनकी सक्षम प्राधिकारी से जॉचोपरान्त पुश्टि हो जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुषासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही भी अमल में लायी जाती है।

2– क्षेत्र पंचायत विकास निधि :– वित्तीय वर्श 2005–06 से प्रत्येक क्षेत्र पंचायत को विकास कार्यों हेतु रू0 25.00 लाख आबंटित किये जाने का प्राविधान उत्तरॉचल षासन, पंचायती राज एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग के षासनादेष संख्या 489/गपप/05/86(10)/05 दिनॉक 13 जून, 2005 द्वारा किया गया है। इस निधि से धनराषि के आहरण–वितरण का अधिकार खण्ड विकास अधिकारी को दिया गया है तथा खण्ड विकास अधिकारी इस निधि में उपलब्ध होने वाली धनराषि को समस्त क्षेत्र पंचायत के प्रादेषिक निर्वाचन क्षेत्रों को समान रूप से स्थानीय आवष्यकताओं के दृश्टिगत विकास कार्यों के लिए विभाजित करते हुए सदस्य क्षेत्र पंचायत की संस्तुति पर धनराषि को निर्गत करेगा। निधि की धनराषि सार्वजनिक उपयोगिता के विकास कार्यों पर व्यय की जायेगी। निधि द्वारा निर्मित किये जाने वाले कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा किये जायेंगे तथा सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण का कार्य किया जायेगा। इस निधि के अन्तर्गत निर्मित विकास कार्यों के उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बन्धित क्षेत्र पंचायत सदस्य द्वारा निर्धारित प्रारू‍प कार्यपूर्ति प्रमाण–पत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अन्तर्गत एक से अधिक क्षेत्र पंचायत सदस्यों द्वारा परस्पर संयुक्त उपयोगिता के वृह्त निर्माण कार्य भी संयुक्त रूप से किये जा सकते हैं। साथ ही कोई सदस्य अपने पूर्ण कार्यकाल के लिए एक ही योजना पर सम्पूर्ण धनराषि व्यय कर सकता है। किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर पूर्व से प्रचलित योजना प्रभावित नहीं होगी तथा योजना के लिये पूर्व से स्वीकृत धनराषि

को अस्वीकृत नहीं किया जायेगा और न ही योजना को परिवर्तित किया जायेगा। माह अगस्त, 2005 तक षासन से इस निधि में धनराषि का आबंटन प्राप्त नहीं हुआ है। धनराषि का आबंटन प्राप्त होने पर उसे खण्ड विकास अधिकारियों को अवमुक्त करते हुए क्षेत्र पंचायत विकास निधि का संचालन आरम्भ हो जायेगा।

3– सामुदायिक विकास कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संग्रहीत जिला विकास कार्यालय के भवन तथा विकास खण्डों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण जिला योजना में प्राविधानित/स्वीकृत धनराषि से किया जाता है। विकास खण्डों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु प्राप्त धनराषि को निर्माण संस्था/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग को अवमुक्त कर दी जाती है। निर्माण ऐजेन्सी निर्धारित मानकों/प्रॉकलन के अनुसार भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण कर विभाग को हस्तान्तरित करती है।

4– राश्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम :– यह कार्यक्रम अपारम्परिक ऊर्जा श्रोत मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है तथा भारत सरकार द्वारा सहायतित कार्यक्रम है। योजना का मुख्य उद्देष्य ग्रामीण अंचलों में अपारम्परिक ऊर्जा के श्रोत विकसित करना तथा परम्परागत ऊर्जा के संसाधनों जैसे लकड़ी, मिट्टी का तेल, बिजली आदि की बचत करना है। अपारम्परिक ऊर्जा श्रोतों के दोहन की दिषा में किये गये क्रियात्मक षोधों के तहत वर्श 1978 में जनता तथा दीनबन्धु गोबर गैस संयन्त्र का माडल भारत सरकार के गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोत विभाग, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया। फलस्वरूप उक्त मॉडल वर्तमान समय में राश्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के रूप में अंगीकृत किये गये हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के कृशक वर्ग जिनके पास उपयुक्त मात्रा में पषु उपलब्ध हों और वह इस संयन्त्र को बनाने का इच्छुक हो, उनके लिए गोबर गैस/बायोगैस संयत्र बहुत ही उपयोगी है। षीतोश्ण जलवायु की अपेक्षा गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में इसका उपयोग सफल पाया गया है। इस योजना अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 1 घनमीटर से अधिक आकार के संयत्र पर रू0 4500.00 तथा एक घनमीटर क्षेत्र के संयत्र पर रू0 3500.00 अनुदान का भुगतान संयन्त्र से गैस निकलने पर किया जाता है। संयन्त्र के निर्माण पर लगने वाली षेश धनराषि लाभार्थी को स्वयं के साधनों से अथवा बैंक से ऋण लेकर कर वहन करनी होती है। खण्ड विकास अधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के इच्छुक कास्तकारों को चयनित कर बायोगैस संयत्र निर्माण हेतु प्रषिक्षण दिया जाता है तथा टर्नकी वर्कर/एजेन्ट के माध्यम से संयन्त्र के निर्माण का कार्य पूर्ण कराया जाता है। टर्नकी वर्कर को संयन्त्र निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिए जाने तथा संयन्त्र से गैस निकलने के उपरान्त रू0 800.00 प्रति संयन्त्र की दर से मानदेय का भुगतान भी किया जाता है।

5– त्वरित ग्रामीण विकास कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संस्थान/जल निगम एवं अन्य ऐजेन्सियों द्वारा निर्मित पेयजल योजनायें, जिन्हें ग्राम सभा को हस्तान्तरित किया गया हो, के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत के लिए ग्राम पंचायतों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप षासन से धनराषि प्राप्त होने पर प्राप्त धनराषि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को अवमुक्त कर दी जाती है। ग्राम पंचायतों को विकास खण्ड में खण्ड विकास अधिकारी के नियन्त्रण में कार्यरत अवर अभियन्ता, लधु सिंचाई अथवा अवर अभियन्ता, आर0ई0एस0 के तकनीकी मार्गदर्षन में इन पेयजल योजनाओं की मरम्मत का कार्य पूर्ण करना होता है।

6– सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (बी0ए0डी0पी0) :– इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देष्य भारत की सीमाओं पर बसे हुए दुर्गम एवं पिछड़े क्षेत्र के लोगों की विकास सम्बन्धी आवष्यकताओं को पूरा करना है। जनपद की भारत–तिब्बत/चीन सीमा पर स्थित विकास खण्ड जोषीमठ को इस योजना अन्तर्गत चयनित किया गया है। योजना अन्तर्गत षिक्षा, स्वास्थ्य, कृशि, उद्यान, लघु सिंचाई एवं सामुदायिक विकास के वे कार्य जो कि उस

सीमान्त क्षेत्र की परिस्थितियों के अनुरूप आवष्यक हो, चयनित किये जाते हैं तथा भारत सरकार से जारी दिषा निर्देषों के अनुसार कार्ययोजना प्रस्ताव में सम्मिलित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से योजना का विस्तृत प्रॉकलन तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जाता है। चूँकि यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा सीमान्त क्षेत्रों के विकास हेतु चलायी गयी है, इसलिए केन्द्र सरकार से प्रस्तावित योजनाओं/कार्यों की स्वीकृति प्राप्त होने एवं धनराषि का आबंटन होने पर ही सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

<u>7– सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बी0ए0डी0ए0) :</u>– पूर्व सृजित सीमान्त जनपदों अर्थात् चमोली, उत्तरकाषी एवं पिथौरागढ़ में स्थित सभी विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गयी है, जो कि इन क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए हर सम्भव उपाय करेगी। प्राधिकरण के अध्यक्ष मा0 मुख्य मंत्री जी तथा उपाध्यक्ष, योजना आयोग प्राधिकरण के उपाध्यक्ष होंगे। सदस्यों में सीमान्त क्षेत्र के माननीय विधायक तथा मुख्य सचिव रहेंगे। प्राधिकरण को नियोजन विभाग द्वारा संचालित किया जायेगा और नियोजन विभाग ही प्राधिकरण का प्रषासनिक विभाग होगा। प्राधिकरण का मुख्य कार्य– (1) सीमान्त विकास खण्डों में सामाजिक, आर्थिक विकास की बैंच मार्क सर्वेक्षण करना (2) अवस्थापना सुविधा में गैप्स चिन्हित करना (3) सीमान्त क्षेत्र के निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए योजनायें तैयार करना (4) चहाई जा रही परियोजनाओं का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना तथा (5) षासन को इन क्षेत्रों के लिए नीतियां बनाने हेतु सलाह देना। नियोजन विभाग को सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण के सफल क्रियान्वयन के लिए जो अतिरिक्त मानव संसाधन और वित्तीय संसाधनों की आवष्यकता होगी, उसके लिए तद्नुसार अलग से आदेष जारी किये जाने की व्यवस्था दी गयी है।

<u>8– विधायक विकास निधि :–</u> षासनादेष संख्या 384/व.ग्रा.वि./वि.नि./2002 दिनांक 7 जून, 2002 के द्वारा विधान सभा के मा. सदस्यों को अपने–अपने क्षेत्रों में विकास कार्य कराने हेतु विधायक निधि का गठन किया गया है, जिसके द्वारा योजना की अवधारणा, कार्यान्वयन और अनुश्रवण व्यवस्था के सम्बन्ध में षासन द्वारा मार्गदर्षी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। इन्हीं मार्गदर्षी सिद्धान्तों के अनुरूप विधायक निधि से सम्बन्धित विकास कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। पूर्व में प्रति विधान सभी क्षेत्र हेतु रू0 50.00 लाख का प्रावधान किया गया था जिसे षासनादेष संख्या 325/ग/05/56 (05)/ 2003 दिनांक 23–03–2005 के द्वारा रू0 100.00 लाख अर्थात् एक करोड़ रूपया एवं अध्यतन षासनादेष संख्या 38/ टप्; ६ ग ६ 06/56 (05)/2003 दिनांक 30 नवम्बर, 2006 के द्वारा रू0 125.00 लाख यानी एक करोड़ पच्चीस लाख रूपये कर दिया गया है। योजना का चयन एवं उसमें वॉच्छित परिवर्तन मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा ही किया जा सकता है।

<u>9– राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना :–</u> षासन द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन ही राश्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। इस योजना अन्तर्गत ग्राम के प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य को जो कि ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता हो और अकुषल षारीरिक कार्य करने का इच्छुक हो, ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार हेतु पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेगा। ग्राम पंचायत इस प्रकार के पंजीकरण की जांच करने के उपरान्त उनके फोटोग्राफ चिपकाकर एक जांब कार्ड जारी करेगा जो कि कम से कम 5 वर्श के लिए मान्य होगा। इस प्रकार प्रत्येक गृहस्थी को योजना के उपबन्धों के अनुसार रोजगार हेतु आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदक को निरन्तर कम से कम 14 दिनों के लिए कार्य करना होगा। जहां तक सम्भव हो आवेदक को उस ग्राम से जहां वह आवेदन करते समय निवास करता है, की 5 किमी0 की सीमा के अन्तर्गत रोजगार प्रदान किया

जायेगा। यदि 5 किमी0 की सीमा के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तो ब्लाक अर्थात् विकास खण्ड के अन्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, जिस हेतु 10 प्रतिषत अतिरिक्त मजदूरी दी जायेगी। इस प्रकार योजना अन्तर्गत प्रत्येक गृहस्थी के वयस्क सदस्य को वित्तीय वर्श में अधिकतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा। रोजगार उपलब्ध न होने की स्थिति में नियमानुसार बेकारी भत्ता दिये जाने की व्यवस्था भी विधेयक में की गयी है।

□□□□□□□□□□